संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 18-07-2021**

आज दिनांक 18.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता राकेश कुमार पुत्र सुलेद निवासी सरही थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 489/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – हे0का0 अवधेश साहनी, हे0का0 संतोष पटेल ।

बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना महुली पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 206/21 धारा 363/366भा0द0वि0 व 16/17 पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता पीरु उर्फ पीर मोहम्मद पुत्र यूनुस निवासी केवाड़ी मुस्तकीम थाना दुबौलिया जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 10.07.2021 को वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 18.07.2021 को थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सत्येन्द्र यादव मय हमराह ।

संतकबीरनगर पुलिस

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 15 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत देवरा से इवेन्ट संख्या 16240 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति (सुरेन्द्र कुमार पुत्र परदेशी निवासी सेमरी) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर तत्काल पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाया गया तथा प्रतिवादी को थाना धनघटा के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 रविन्द्र यादव, म0आ0 अंशु यादव, म0आ0 मीनू राजभर, हे0चा0 सुनील अग्रहरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 175 वाहनो से 164000 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 18.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 175 वाहनो से 164000 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।